थालय उपखण्ड अधिकारी इटावा इटावा जिला कोटा राज0

ल नं.
/2017

तारीख दायरा
23/01/2017

तारीख फैसला
23/3/2022

ठासीन अधिकारी– श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. लोकेश कुमार दत्तक पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र कमला जाति ब्राहम्ण निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. संजय कुमार पुत्र कमला जाति ब्राहम्ण निवासी गैंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक –

1. वादीगण की और से– श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट।
2. प्रतिवादीगण की और सें– श्री कमल बंसल एडवोकेट।

वाद अन्तर्गत धारा–53 आर.टी.एक्ट.

निणर्य

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त में निम्नानुसार कृषि आराजी स्थित है कि ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र इटावा भू अभिलेख निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या नया 1028 पुराना 1 पर खसरा नम्बर 142 रकबा 2.18 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर भूमि स्थित है। ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र इटावा भू अभिलेख निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता न0 नया 1027 पुराना 231 पर खसरा नम्बर 244 रकबा 8.18 है. कुल किता 1 रकबा 8.18 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है।

यह कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा का सहखातेदार कृषक है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को विवादित भूमि का लगान, पिलाई आदि जमा करवाने तथा अपने हिस्से की भूमि पर कृषि विकास कार्यो को करवाने आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के मध्य विवादित आराजी को लेकर आये दिन वाद विवाद होता रहता है। प्रतिवादी न0 1 व 2 कई बार वादी के निवेदन पर भी विभाजन करवाने को तैयार नहीं है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि विवादित आराजी में वही अपने निहित 1/2 हिस्से का विभाजन करवायें तथा पृथक खाता, पृथक लगान कायम करवायें।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में द्व प्रतिवादीगण निम्न आशय की विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावे कि ग्राम इटावा पटवार क्षेत्र ा भू अभिलेख निरीक्षक इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज) में खाता संख्या नया 1028 में रा नम्बर 142 रकबा 2.18 है0 कुला किता 1 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर तथा ग्राम इटावा की ही खाता 1027 में खसरा नम्बर 244 रकबा 8.18 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 8.18 हैक्टर में वादी के निहित 2 हिस्से का विभाजन किया जाकर पृथक खाता पृथक लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में ाज किया जावे, तदनुरूप ही नक्शें लट्ठे में तरमिम फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जर्ये ोल जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है।

1. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त में स्वीकार है। विशेष आपत्तियां मय काउन्टर क्लेम अवलोकनीय है
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त में स्वीकार है। विशेष आपत्तियां मय काउन्टर क्लेम अवलोकनीय है
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 1, 2 भी अपने अपने हिस्से की भूमि पर परस्पर सहमति से शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। विशेष आपत्तियां मय काउन्टर क्लेम अवलोकनीय है
4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 स्वीकार है।
5. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नहीं है।
6. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 स्वीकार है।
7. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 8 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार है। विशेष आपत्तियां मय काउन्टर क्लेम अवलोकनीय है।

वकील प्रतिवादीगण द्वारा विशेष आपत्तिया मय काउन्टर क्लेम पेश की गई जो निम्नानुसार है।

1. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1, 2 का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी क्रम 1, 2 अपने अपने 1/4 – 1/4 हिस्से का विधिवत विभाजन करवाकर पृथक पृथक खाता एवं लगान कायम करवाने के विधिक अधिकारी है। तदर्थ काउन्टर क्लेम श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।
2. यह कि काउन्टर क्लेम अवधि मध्य, नियत न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
3. यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर विनय है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित विवादित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 के 1/4 हिस्से की भूमि को तथा प्रतिवादी क्रम 2 के 1/4 हिस्से की भूमि को विधिवत (According Rr. 18-21 THE RAJ. TENANCY [BOARD OF REVENUE] RULES, 1955) विभाजित किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जावे। मौके पर वादी के हिस्से में प्राप्त भूमि की पत्थरगड़ी कराई जाये जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लठ्ठा में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

पत्रावली उपलब्ध उपलब्ध रेकार्ड वकील प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में विवादित आराजीयात् मे निहित 1/4,–1/4 हिस्से की भूमि को विधिवत विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की जरिये समन विधिवत तलबी की गई । प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में उभय के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता नें जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन अध्ययन मनन किया गया एवं बहस उभय पक्ष सुनी गयी, बहस पूर्ण हुई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बहस अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्को पर मनन किया गया।

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता सं0 1028 खसरा नम्बर 142 रकबा 2.00 हैक्टयेर कुल किता 1 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर व ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की ही जिला कोटा की खाता सं0 व खाता सं 1027 खसरा नम्बर 244 रकबा 8.18 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 8.18 हैक्टेयर मे से अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार किया जाकर बंटवारे में प्राप्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी गण के खाते मे पृथक पृथक दर्ज की जावे, तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार पीपल्दा को आदेश दिया जाता है कि वह आरटी एक्ट (बोर्ड आफ रेवन्यु) नियम 18–21 अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव भिजवाये। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 23/2/2022 ....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड
मजिस्ट्रेट इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा